न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 165 / 2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 02.11.18

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22.11.18

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 29.09.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कार्मिकगणों के नियुक्ति आदेश, उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य, उनके कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों की सूची एवं राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दिनांकः 01.04.18 से दिनांकः 30.09.18 तक प्राप्त प्रथम अपील मय कार्यवाही विवरण आदि 07 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.10.18 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना / 2018 / 2015 दिनांकः 14.11.18 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.10.18 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांकः 29.09.2018 व प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया। अपीलार्थी के सूचना आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः लोक सूचना / 2018 / 3463 दिनांकः 23.10.18 के माध्यम से बिन्दु सं. 01 से 06 तक बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है किन्तु बिन्दु सं. 07 पर किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की है।
9. यहॉ प्रथम अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांकः 30.10.18 के माध्यम से किसी प्रकार की सूचना प्रत्यर्थी से प्राप्त नहीं होने बाबत लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है।
10. उक्त आलोक में प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 7 पर विधिवत् विनिश्चय करते हुए पूर्व प्रेषित सूचना की प्रति पुनः निःशुल्क ही अधिप्रमाणित कर पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को भिजवाना सुनिश्चित करे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)